राजस्थान सरकार
देवस्थान विभाग

क्रमांक प.1(4)देव/2013 जयपुर दिनांक :– 21-4-16

सिन्धु दर्शन यात्रा योजना

1. **उद्देश्य** :– इस योजना का उद्धेश्य सिन्धु दर्शन तीर्थयात्रा पर जाने वाले प्रदेश के 200 तीर्थ यात्रियों को वर्ष 2016–17 में आर्थिक सहायता पहुंचाना हैं।

2. **तीर्थ यात्रा से तात्पर्य** उस व्यक्ति से है, जिसने लद्दाख स्थित सिन्धु दर्शन यात्रा पूर्ण कर ली हो।

3. **तीर्थ यात्रा पर जाने के लिये पात्रता** – (1) भारत के लद्दाख स्थित सिन्धु दर्शन की तीर्थयात्रा पर जाने वाला तीर्थयात्री राजस्थान का मूल निवासी हो। (2) देवस्थान विभाग, राजस्थान द्वारा चयनित व्यक्ति ही योजना का लाभ प्राप्त करने का पात्र है। (3) वित्तीय वर्ष 2016–17 में 1 अप्रेल से सिन्धुदर्शन यात्रा पूर्ण करने के पश्चात 60 दिवस की अवधि में संबंधित सहायक आयुक्त देवस्थान को निर्धारित प्रपत्र में प्रार्थना पत्र आवश्यक दस्तावेजों के प्रस्तुत करने होंगे। 31 अक्टूबर तक प्राप्त प्रार्थना पत्रों एवं दस्तावेजों का सहायक आयुक्त देवस्थान द्वारा परीक्षण कर पात्र यात्रियों के आवेदन पत्र मय सूची आयुक्त,देवस्थान कार्यालय उदयपुर को भिजवायें जायेगें। सहायक आयुक्तों से प्राप्त आवेदन पत्र 200 से अधिक होगें तो आयुक्त, देवस्थान द्वारा संभागीय आयुक्त, उदयपुर की अध्यक्षता में लॉटरी निकाल कर लाभार्थियों का चयन किया जायेगा। (4) लॉटरी निकालते समय आवेदक के आवेदन के साथ उसकी पत्नी अथवा पति (यदि उनके द्वारा भी यात्रा कर ली हो) को एक मानते हुए लॉटरी निकाली जायेगी एवं लॉटरी में चयन होने पर दोनों अनुदान के पात्र होंगे। (5) जीवन काल में केवल एक बार अनुदान प्राप्त करने की पात्रता होगी। (6) आवेदक 60 वर्ष से कम का न हो। (7) भिक्षावृति पर जीवन यापन करने वाले योजना के पात्र नहीं होंगे। (8) यात्रा हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हो और किसी संक्रामक रोग यथा टी0बी0, कांजिस्टिव कार्डियक,श्वास में अवरोध संबंधी बीमारी, Coronary अपर्याप्तता, Coronary thrombosis

मानसिक व्याधि,संक्रामक कुष्ठ आदि से ग्रसित न हो। (9) आयकरदाता न हो। (10) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र व राज्य सरकार के उपक्रम/स्थानीय निकाय से सेवा निवृत कर्मचारी/अधिकारी यात्रा के पात्र नहीं होंगे।

4. तीर्थ यात्रा हेतु अनुदान राशि : (1) राजस्थान के ऐसे व्यक्ति जिन्हें देवस्थान विभाग द्वारा चयनित व्यक्ति की सूची में स्थान पाते हुए उनके द्वारा लद्दाख स्थित सिन्धु दर्शन की यात्रा पूर्ण कर ली हो तो उन्हें यात्रा उपरान्त यात्रा पर हुए वास्तविक व्यय का प्रमाण पत्र (टिक्टि,रसीदें इत्यादि) प्रस्तुत करना होगा और ऐसी यात्रा पर हुए 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति अधिकतम 10,000/– प्रति तीर्थ यात्री तक राज्य शासन द्वारा की जायेगी। (2) वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए अनुदान प्राप्त करने हेतु पात्र व्यक्ति दिनांक 1.4.2016 से यात्रा करने के पश्चात अपने दावे निर्धारित प्रपत्र में प्रमाणित अभिलेख सहित संबंधित सहायक आयुक्त को यात्रा समाप्ति के 60 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करेगा।

इस योजना के संबंध में किसी भी मार्गदर्शन के लिये अतिरिक्त मुख्य सचिव देवस्थान विभाग के निर्देश अंतिम होंगे।

यह योजना वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिये प्रभावी होगी।

सत्यमेव जयते

आवेदक
का
फोटो लगाऐं

(स्टॉम्प साइज)

राजस्थान सरकार
देवस्थान–विभाग
सिन्धु दर्शन यात्रा 2016 हेतु सहायता अनुदान आवेदन पत्र

सेवामें,

सहायक आयुक्त,
देवस्थान विभाग,
.....(राज.)

विषय :– सिन्धु दर्शन यात्रा हेतु सहायता अनुदान स्वीकृति के क्रम में।

1. आवेदक का नाम.....पिता/पति का नाम .....

2. लिंग..... 3. जन्म दिनांक (प्रमाण पत्र संलग्न करें).....

4. राजस्थान का मूल निवासी प्रमाण पत्र– जारी करने की दिनांक.....व स्थान.....
(आवेदक मतदाता पहचान पत्र की प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करे। आवेदक की आयु मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड/ शैक्षणिक संस्थाओं के प्रमाण पत्र की प्रति के आधार पर दिनांक 01.04.2016 को 60 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए)

5. वर्तमान पता.....ग्राम/शहर का नाम.....

पिनकोड.....तहसील.....जिला.....

6. सम्पर्क सूत्र– दूरभाष मय एस.टी.डी.कोड..... मोवाईल नं.....

7. व्यवसाय.....

8. आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों का विवरण :–
   (i) जन्म प्रमाण–पत्र
   (ii) राजस्थान का मूल निवास प्रमाण–पत्र
   (iii) मतदाता पहचान–पत्र/आधार कार्ड की प्रति
   (iv) लद्दाख स्थित सरकारी विभाग/समाज का रजिस्टर्ड ट्रस्ट या गठित कमेटी का सत्यापित प्रमाण–पत्र।
   (v) अन्य

9. सिन्धु दर्शन यात्रा की अवधि– दिनांक.....से दिनांक.....तक कुल ( ) दिन

- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहियें।
- आवेदक कि उम्र 60 वर्ष से कम ना हो। (01.04.2016 के संदर्भ में)
- आवेदक आयकरदाता न हो।
- किसी भी सरकारी उपक्रम या स्थानीय निकाय से सेवा निवृत कर्मचारी/जीवनसाथी पात्र नहीं होगा।
- 1 अप्रेल 2016 से यात्रा पूर्ण करने के पश्चात 60 दिवस की अवधि में संबंधित सहायक आयुक्त को निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

(जाँच के दौरान अधूरे/त्रुटिपूर्ण पाये आवेदन–पत्र निरस्त योग्य होगे एवं लॉटरी में शामिल नहीं किये जायेगें)

आवेदक के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान

कृ.प.उ.

आवेदक द्वारा घोषणा

मैं ..... पिता / पति का नाम..... उम्र.....वर्ष व्यवसाय.....
..... निवासी..... सत्य निष्ठा के साथ घोषणा करता /करती हूँ कि:–

1. मैंने सिंधु दर्शन यात्रा योजना 2016 के नियम व निर्देश पूर्णतः पढ़/सुनकर समझ लिये हैं और मैं उनका पालन करूंगा / करूंगी।
2. मैं और जीवनसाथी आयकरदाता नही है।
3. मैं और जीवनसाथी राज्य सरकार / केन्द्र सरकार / केन्द्र व राज्य सरकार के उपक्रम / स्थानीय निकाय से सेवानिवृत्त / कार्यरत कर्मचारी / अधिकारी नही हैं।
4. यात्रा के दौरान होने वाली किसी दुर्घटना अथवा कठिनाई के लिये मैं स्वयं उत्तरदायी हूँ। इसके लिये राज्य सरकार, अथवा उसका कोई अधिकारी / कर्मचारी उत्तरदायी नही होगा।
5. इस योजना के अन्तर्गत मैने पूर्व में यात्रा नही की है। यदि किसी भी समय यह पाया गया कि मेरे द्वारा इस योजना के तहत पूर्व में यात्रा की है तो मैं यात्रा पर हुआ संपूर्ण व्यय एवं उस पर 25 प्रतिशत राशि दण्डस्वरूप राजकोष में जमा कराऊंगा। यदि मेरे द्वारा तीन माह के अन्दर उक्त राशि जमा नही कराई गई तो मेरे विरूद्ध आई.पी.सी. के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकेगी।

दिनांकः–
स्थान :–

आवेदक के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान

सत्यापन

मैं .....पिता / पति का नाम..... उम्र.....वर्ष व्यवसाय.....
निवासी..... सत्य निष्ठा के साथ घोषणा करता /करती हूँ कि उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 5 तक दिया गया विवरण मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सही एवं सत्य है। कोई तथ्य छिपाया नही गया है। यदि मेरे द्वारा प्रदान की गई कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो मेरे विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।

दिनांकः–
स्थान :–

आवेदक के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग..... की रिपोर्ट

उक्त आवेदन में आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सही पाये गये है। सहायता अनुदान राशि स्वीकृति की अनुशंषा की जाती है।

सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग.....